

UPBJ180024962022



न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना, बिजनौर।

दाण्डिक वाद सं० 1404 / 2022

सरकार

बनाम

शकील अहमद

धारा 279,338,304ए भा०दं०सं

मु०अ०सं०87 / 2022

थाना-बढ़ापुर, जिला बिजनौर।

बयान मुल्जिम

नाम अभियुक्त पुत्र आयु वर्ष पेशा

निवासी थाना जिला

प्रश्न नं०-1-यह कि दिनांक 26-04-2022 समय 15:00 बजे वहद स्थान खुर्शीद की दुकान के सामने मौ० नौमी कस्बा व थाना बढ़ापुर जिला बिजनौर में अपने नगरपंचायत बढ़ापुर के ट्रैक्टर महिन्द्रा 265 डी०आई० रंग लाल को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी के पिता अ० हमीद व अय्यूब पुत्र नन्हें व बुन्दू अंसारी पुत्र सलीमुल्ला के ऊपर ट्रैक्टर चलाकर तीनों को कुचल दिया, जिससे वादी के पिता अ० हमीद की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा अय्यूब व बुन्दू अंसारी को गम्भीर चोटें आयीं। इस घटना के बारे में आपको क्या कहना है?

उत्तर:-

प्रश्न नं० 2- मुकदमा आपके विरुद्ध क्यों चला?

उत्तर:-

प्रश्न नं०3- क्या आप अपने जुर्म को स्वेच्छया से स्वीकार कर रहे हैं अथवा विचारण चाहते हैं?

उत्तर:

प्रश्न नं०4 क्या आपको कुछ और कहना है?

उत्तर-

सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक: 17-05-2023

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नगीना,बिजनौर।